3 करोड़ युवाओं को रोजगार

पहले की सरकार नौकरी देने के नाम पर वसूली करती थी

लखनऊ, 15 जुलाई. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए न रोजगार के अवसर थे और न ही पारदर्शी भर्ती व्यवस्था।

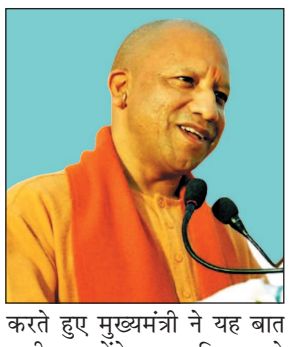

> योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार कौशल विकास मंत्रालय का गठन कर इस क्षेत्र को नई दिशा दी। उन्होंने बताया कि अब आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, ड्रोन, त्रि-आयामी मुद्रण (3डी प्रिंटिंग) और सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सुविधाएं केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, बलिया और बहराइच जैसे जिलों तक भी पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी लखनऊ में इसका कार्य जारी रहा और इससे लगभग 500 युवाओं को रोजगार मिला।

उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी था तथा तत्कालीन सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशगुन थी। विश्व युवा कौशल दिवस-2026 के अवसर पर गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल विकास मिशन एवं आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पहले नौकरी निकलती नहीं थी और यदि निकलती भी थी तो चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल पड़ती थी। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि तत्कालीन सरकारों की सोच और कार्यशैली बीमार थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में राज्य सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि सवा तीन करोड़ से अधिक युवाओं और कारीगरों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि यूनेस्को द्वारा इस वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस की थीम साझा भविष्य के लिए कौशल रखी गई है।

उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला प्रदेश है और सरकार इस जनसांख्यिकीय शक्ति को कौशल विकास से जोड़कर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर मजबूत करेंगे कौशल शिक्षा का ढांचा

नई दिल्ली. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) और ऑस्ट्रेलियाई कौशल गुणवत्ता प्राधिकरण (एएसक्यूए) ने तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) में गुणवत्ता आश्वासन और नियामकीय सहयोग को मजबूत करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किये हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के महत्वपूर्ण परिणामों में एक और उपलब्धि जुड़ गयी है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत दोनों संस्थाएं गुणवत्ता आश्वासन ढांचे, प्रत्यायन प्रक्रियाओं, नियामकीय प्रणाली, निगरानी तंत्र, क्षमता निर्माण, कर्मचारी आदान-प्रदान और संयुक्त कार्यशालाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगी। इसके अलावा योग्यता की पारस्परिक मान्यता, डिजिटल प्रमाणन, व्यावसायिक मानकों के समन्वय और श्रम बाजार से जुड़े अनुभवों के आदान-प्रदान की संभावनाओं पर भी मिलकर काम किया जायेगा। एनसीवीईटी की अध्यक्ष देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि यह साझेदारी व्यावसायिक शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	49235646	संपत्ति के बदले ऋण	01-Jul-2026	1,00,107.12/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. अमर सिंह राजाराम 2. रुखमणी अमरसिंह

संपत्ति का पता: 58.08 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली वह पूरी संपत्ति, जिसमें वर्तमान में ग्राउंड फ्लोर पर 58.08 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में घर बना हुआ है; यह संपत्ति आबादी ख.नं.57, पीएच नंबर 32, ग्रामः खड़कवानी, तहसीलः कसरावद, जिलाः खरगोन, मध्य प्रदेश-451660 में स्थित है और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉमन रोड, पश्चिमः श्री अशोक, उत्तरः श्री खुशियाल, दक्षिणः अपनी जमीन।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 16.07.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

नोएडा : 5 मंजिला में आग, 2 की मौत

- ममूरा की रिहायशी इमारत में मची अफरा-तफरी
- बिल्डिंग से सीढ़ी लगाकर लोगों को सुरक्षित निकाला

नोएडा, 15 जुलाई. नोएडा के सेक्टर-66 स्थित ममूरा गांव में बुधवार को एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में 26 वर्षीय महिला स्नेहा और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के समय इमारत में करीब 50 परिवार मौजूद थे। आग लगते ही पूरे भवन में धुआं भर गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलने पर दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। मालिक (लैंडलॉर्ड) और लीजधारक (ऑपरेटर) को गिरफ्तार कर लिया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान इमारत के सामने स्थित दूसरी बिल्डिंग से सीढ़ी लगाकर एक अस्थायी रास्ता बनाया गया। इसी रास्ते से 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सक्रिय सहयोग किया। कई लोगों को धुएं से बचाने के लिए तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह पता लगाया जा रहा है कि आग किसी इलेक्ट्रिक बाइक में शॉर्ट सर्किट से लगी या एयर कंडीशनर में तकनीकी खराबी के कारण चिंगारी निकली। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण की पुष्टि की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्थानीय दुकानदार अमन ने सबसे पहले इमारत से धुआं और लपटें उठती देखीं।

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

- मेडिकल सुविधा को लेकर दाखिल हुई याचिका

नई दिल्ली, 15 जुलाई. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जारी भूख हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया।

अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार सुबह तक यह बताने को कहा कि वांगचुक को जरूरी मेडिकल सुविधा और उपचार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। वह नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान उनकी तबीयत लगातार कमजोर होने की जानकारी सामने आई है. बताया गया कि उनका वजन करीब 8.5 किलोग्राम तक कम हो गया है और उन्हें कमजोरी, चक्कर तथा लो ब्लड शुगर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि सरकार वांगचुक को तत्काल इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जीवनरक्षक चिकित्सा सुविधा और आवश्यक पोषण उपलब्ध कराए। याचिका में कहा गया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी व्यक्ति की जान खतरे में होने पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जंतर-मंतर पर मेडिकल टीम लगातार वांगचुक की स्वास्थ्य जांच कर रही है।

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

मानहानि मामले में कोर्ट से राहुल को राहत

लखनऊ, 15 जुलाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बुधवार को राहत मिली। लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज राकेश यादव ने भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से दायर निगरानी याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने स्पेशल मजिस्ट्रेट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। इस फैसले के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मानहानि मुकदमे की अंतिम बहस का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अंतिम बहस की कार्यवाही लंबित है.

भरत तिवारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली, 15 जुलाई. बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले में उचित राहत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया. यह दूसरी बार है जब शीर्ष अदालत ने इसी मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है. यह याचिका प्रिया मिश्रा की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने दायर की थी. याचिका में एनकाउंटर की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की गई थी.

आज का इतिहास

- 1661 : स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया.
- 1856 : हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली.
- 1909 : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का जन्म.
- 1945 : अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया.
- 1951 : नेपाल को ब्रिटेन से आजादी मिली.
- 1968 :भारतीय हॉकी कप्तान धनराज पिल्लै का जन्म.
- 1990 : यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की.
- 1992 : डॉ. शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने.
- 1999 : जॉन एफ़. केनेडी के पुत्र जॉन एफ़. केनेडी जूनियर की विमान दुर्घटना में मृत्यु.
- 2003 : पाकिस्तान, सऊदी अरब और 53 अन्य इस्लामी देश, इजरयइल को 2005 तक मान्यता देने पर राजी.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072
रतलाम शाखा: ग्राउण्ड फ्लोर, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम - 457001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02210000744/ रतलाम शाखा) नरेश गनावा (ऋणी) निम्बूबाई गनावा (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 697 एवं 698 दिनदयाल नगर रतलाम दीनदयाल नगर रोड वार्ड नंबर-20 प्लॉट नं.-जी/81 रतलाम म.प्र. 457001 **चर्तुसीमाएं:** पूर्व-गली, पश्चिम - सड़क, उत्तर - प्लॉट नं. जी 82, दक्षिण - प्लॉट न. जी-80	14-04-2026 & ₹ 9,34,613/-	14-07-2026
2	(लोन कोड नं. 02200001742/ रतलाम शाखा) मोहम्मद इरशाद खान (ऋणी) मेहजबी खान (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 1052/2 अरिहंत परिसर, सेक्टर 03, प्लॉट नं.22 एवं 23 का भाग, अरिहंत परिसर, सेक्टर 03, वार्ड नं. 27, रतलाम, म.प्र.457001 **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व - प्लॉट नं.35 एवं 34, पश्चिम - कॉलोनी की सडक, उत्तर - प्लॉट नं. 22 पर बना मकान, दक्षिण - प्लॉट नं. 23 पर बना मकान	08-04-2026 & ₹ 4,24,253/-	14-07-2026
3	(लोन कोड नं. 02200000195/ रतलाम शाखा) विरेन्द्र सिंह भाटी (ऋणी) ज्योति विरेन्द्र सिंह (सह-ऋणी) रवि मेवाड़ा (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 65/5, प्लॉट नंबर 33 एवं 34 का एक भाग, सर्वे नं.65/5, बाणेश्वरी नगर, बाणेश्वरी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, ग्राम राजगढ, रतलाम, म.प्र. 457001 **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व - सर्वे नं.65/4 की भूमि, पश्चिम - सड़क, उत्तर - प्लॉट नं.33 एवं 34 के भाग पर बना मकान, दक्षिण - प्लॉट नं. 33 एवं 34 के भाग पर बना मकान	15-04-2026 & ₹ 1,84,848/-	14-07-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 16-07-2026
प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, मंदसौर (म.प्र.)

दूरभाष- कार्यालय - 405964 फेक्स-244246 / (e-mail: cmomandsaur@mpurban.gov.in)

क्रमांक / 2629 / प्र.वि. - 2 / 2026 — मंदसौर, दिनांक 14 / 07 / 2026

:: ई-टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय आमंत्रण)::

सर्व संबंधित व्यक्तियों / फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, मन्दसौर को शहर मे स्थित जर्जर / खतरनाक भवनो को सावधानी पूर्वक तोडने का कार्य कराया जाना है। जिसका विस्तृत विवरण निविदा के साथ संलग्न है। इस कार्य हेतु नगरपालिका मन्दसौर द्वारा ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

कं.	ऑन लाईन टेण्डर नं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	UADD_TENDER NO. 2026_UAD _517170-2	शहर में स्थित जर्जर / खतरनाक भवनो को सावधानी पूर्वक तोडने का कार्य	25.00 लाख	18750/-	2000/-

शर्ते :- 1. जर्जर भवन को तोड़ने पर आसपास के आवासीय भवनों का कोई नुकसान के साथ-साथ जन हानि नहीं हो इसकी संपूर्ण जवाबदारी कार्य करने वाली एजेंसी की होगी। 2. जर्जर मकान को तोड़ने पर निकलने वाली सामग्री उसी दिन कार्य स्थल से हटाकर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए गए निर्धारित स्थान पर एकत्रित किया जाना अनिवार्य होगा, इस पर होने वाले व्यय की समस्त जवाबदारी संबंधित कार्य करने वाली एजेंसी की होगी। 3. नगर पालिका द्वारा किए गए जर्जर मकानों की सूची संबंधित निर्माण एजेंसी को प्रदाय की जावेगी सूची अनुसार दिए गए निर्देशानुसार प्राथमिक से जर्जर मकानों को तोड़ने का कार्य निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। 4. सभी मकानों से निकले हुए भवन सामग्री जैसे दरवाजे खिड़की फर्सी स्टील बार, आदी नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी के द्वारा निकल हुए भवन सामग्री का पंचनामा बनाने के पश्चात निर्धारित स्थान पर रखना अनिवार्य होगा।

5. निर्माण क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा जर्जर भवन को तोड़ने में संलग्न कर्मचारी की सुरक्षा की जवाबदारी क्रियांन्वयन एजेंसी की होगी यदि कोई जर्जर मकान को तोड़ने में संलग्न कर्मचारी का दुर्घटना या जनहानि होती है तो समस्त कानुनी जवाबदारी, कर्मचारी पर मेडिकल व्यय समस्त प्रकार की जावाबदारी क्रियान्वयन एजेंसी की होगी। 6. उपरोक्त उल्लेखित समस्त शर्तों के मान्य के पश्चात ही निर्माण क्रियान्वयन एजेंसी को जर्जर भवनों को तोड़ने का कार्य आदेश दिया जाएगा। 7. दरे समस्त टेक्स सहित देवे। 8. ठेकेदार का वाणिज्यक कर विभाग में पंजीयन होना आवश्यक होगा, आधार कार्ड, पेन कार्ड आदी संलग्न करना होगा। 9. उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का पालन नही पाये जाने पर निविदा की प्राईज बिड नही खोले जाने का अधिकार निकाय के पास सुरक्षित रहेगा। 10. विवाद होने की स्थिति मे न्यायिक क्षेत्र मन्दसौर रहेगा। 11. निविदा विक्रय / प्राप्ति दिवस को अवकाश होने पर निविदा स्वतः आगामी कार्य दिवस को खोली जावेगी। 12. निविदा के संबंध में आवश्यक शर्ते एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निकाय की जलकार्य शाखा से समक्ष में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22/07/2026. सायंकाल 5.30 बजे तक है। जिसका विस्तृत विवरण वेबसाईट http://mptender.gov.in के Urban Administration and Development Department वाले खण्ड में देखा जा सकता है। नोट :-यदि निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन होता है तो वह केवल वेबसाईट पर प्रदर्शित होगा, उसके लिये पृथक से समापार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

(श्रीमति रमादेवी बंशीलाल गुर्जर) अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मन्दसौर
(श्रीमति नम्रता प्रितेश चावला) उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मन्दसौर
(श्रीमति निर्मला नरेश चंदवानी) समापति (लो. नि.), नगर पालिका परिषद मन्दसौर
(पी. के. सुमन) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मन्दसौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक: 934/लीज़/2026 — **जाहिर सूचना** — दिनांक: 14.07.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 एवं संशोधित 04.05.2021 के प्रावधान अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा निगम स्वामित्व की लीज भूमि/भवन पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। तालिका में वर्णित भूमि के संबध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को नामांतरण/नवीनीकरण के संबंध में दावा-आपत्ति/सुझाव हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिन में लेखी प्रमाण के साथ निगम कार्यालय (लीज़ शाखा) में सम्पर्क कर प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं आवेदक के पक्ष में लीज़ नामांतरण की कार्यवाही हेतु नगर निगम द्वारा यथोचित निर्णय लिया जावेगा।

क्र.	मूल/पूर्व लीज गृहिता का नाम	आवेदक का नाम	लीज सम्पति का विवरण	आवेदन का आधार
1.	विनोद मोटर्स प्रा.लि. तर्फे अधिकृत संचालक श्रीमती कमला गोयल पति श्री विरेन्द्र गोयल	1. श्री अमित पिता रोशनलाल बजाज 2. भावना बजाज	ब्लॉक नं. 12 बी मकान नं. 20/2 फ्लैट नं. 103 बी सिल्वर लाइन, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
2.	1. कुमारी चांदनी पिता मगनलाल अवलाणी 2. अलका पिता मगनलाल अवलाणी	1. श्री रोशन एच.यु.एफ. तर्फे कर्ता रोशन आरतानी 2. श्रीमती जानवी पति श्री रोशन आरतानी 3. श्री श्यामलाल पिता स्व.श्री दरबारीलाल अजवानी 4. श्री आनंद पिता श्री जयप्रकाश वर्मा 5. श्रीमती जुलेखा पति श्री असगर अली	मकान नं. 13-14 मुराई मोहल्ला गाड़ी अड्डा जूनी, इन्दौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
3.	श्री मोलाहल्ली करूणाकर पिता तियादी रामन्ना शेरवेगर	श्री सतीश पिता स्व. श्री राज कुमार (पाटनी) जैन	ब्लॉक नं. 62 मकान नं. 62/4 मनोरमागंज, इन्दौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
4.	श्री प्रेमकुमार पिता किरोडीराम कौशिक	1. श्री संजय पिता चुन्नीलाल कंठालिया 2. श्रीमती लीना पति संजय कंठालिया	मकान नं. 19/2 प्लॉट नं. 5 मनोरमागंज, इन्दौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
5.	मेसर्स एस.एम. रिसोटर्स होटल इन्टर नेशनल तर्फे डायरेक्टर दीपक कालरा	श्री प्रतिक पिता श्री अशोक गुलाटी	ब्लॉक 13 बी म.नं. 22/2 फ्लैट 604, N R K विला मनोरमागंज, इन्दौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
6.	मेसर्स एस.एम. रिसोटर्स होटल इन्टर नेशनल तर्फे डायरेक्टर दीपक कालरा	1. श्री धीरज पिता स्व.श्री प्रेमनाथ कोहली 2. श्रीमती मीतु पति श्री धीरज कोहली	ब्लॉक 13 बी म.नं. 22/2 फ्लैट 203, N R K विला मनोरमागंज, इन्दौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
7.	मेसर्स एस.एम. रिसोटर्स होटल इन्टर नेशनल तर्फे डायरेक्टर दीपक कालरा	1. श्री रमेश पिता अमृतलाल गुप्ता 2. श्रीमती किरण पति रमेश गुप्ता	ब्लॉक 13 बी म.नं. 22/2 फ्लैट 304, N R K विला मनोरमागंज, इन्दौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
8.	मेसर्स एस.एम. रिसोटर्स होटल इन्टर नेशनल तर्फे डायरेक्टर दीपक कालरा	श्री इन्द्रजीत सिंह पिता मालक सिंह चावला	ब्लॉक 13 बी म.नं. 22/2 फ्लैट 303, N R K विला मनोरमागंज, इन्दौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
9.	मेसर्स एस.एम. रिसोटर्स होटल इन्टर नेशनल तर्फे डायरेक्टर दीपक कालरा	1. डॉ. श्रीमती श्यामलाल पति डॉ. मेजर महेश कुमार गुप्ता 2. डॉ. मेजर महेश कुमार पिता सुन्दरलाल गुप्ता 3. श्रीमती मेघा पति श्री ओम मेजर गुप्ता 4. श्री ओम मेजर पिता डॉ. मेजर महेश गुप्ता	ब्लॉक 13 बी म.नं. 22/2 फ्लैट 502, N R K विला मनोरमागंज, इन्दौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
10.	मेसर्स एस.एम. रिसोटर्स होटल इन्टर नेशनल तर्फे डायरेक्टर दीपक कालरा	श्रीमती सीमा पति श्री विनोद कुमार छाबड़ा	ब्लॉक 13 बी म.नं. 22/2 फ्लैट 603, N R K विला मनोरमागंज, इन्दौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
11.	मेसर्स एस.एम. रिसोटर्स होटल इन्टर नेशनल तर्फे डायरेक्टर दीपक कालरा	श्री संजय पिता श्री छगनलाल अग्रवाल	ब्लॉक 13 बी म.नं. 22/2 फ्लैट 405, N R K विला मनोरमागंज, इन्दौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
12.	विनोद मोटर्स प्रा.लि. तर्फे अधिकृत संचालक श्रीमती कमला गोयल पति श्री विरेन्द्र गोयल	1. श्रीमती राखी पति श्री परेश कामदार 2. श्री परेश पिता श्री भिखुभाई कामदार	ब्लॉक नं. 12 बी मकान नं. 20/2 फ्लैट नं. G-1 सिल्वर लाइन, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण
13.	विनोद मोटर्स प्रा.लि. तर्फे अधिकृत संचालक श्रीमती कमला गोयल पति श्री विरेन्द्र गोयल	1. श्रीमती प्रियंका पति श्री सचिन रूमडे 2. श्रीमती पुष्पा पति श्री उमाशंकर जोशी 3. श्री उमाशंकर पिता स्व. श्री कैलाश जोशी 4. श्री सन्नी प